

दिनांक: 18 दिसंबर 2023

भारतीय संसद की सुरक्षा में सेंधमारी / सुरक्षा उल्लंघन

(यह लेख ' इंडियन एक्सप्रेस ', ' जनसत्ता ', ' संसद टीवी ' मासिक पत्रिका ' वर्ल्ड फोकस ' और ' पीआईबी ' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर ' आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और संगठित अपराध ' खंड से संबंधित है। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' ' भारतीय संसद की सुरक्षा में सेंधमारी / सुरक्षा उल्लंघन ' से संबंधित है।)

सामान्य अध्ययन - आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और संगठित अपराध।

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर, 2023 को नए संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने का नया मामला सामने आया है। 13 दिसंबर 2001 को जिन आतंकियों ने संसद पर आत्मघाती / फिदायीन हमला किया था, उसका मकसद भी पहले से तयशुदा था। लेकिन 13 दिसम्बर 2023 में जब वर्ष 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के लिए सांसदों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया तो इस सुरक्षा उल्लंघन मामले में कोई विदेशी आतंकवादी संगठन या किसी विदेशी आतंकवादी नागरिक की संलिप्तता नहीं थी, बल्कि इस संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में भारतीय नागरिक ही शामिल है, जो भारत के ' आंतरिक सुरक्षा, आतंकवादी गतिविधि और संगठित अपराध ' क्षेत्र के अपराध की रोकथाम के लिए भारत के समक्ष गंभीर चुनौती पेश करता है। यह भारत के आंतरिक सुरक्षा में गंभीर सुधार की जरूरतों की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है।

- भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनता है। वे तीन अंग हैं - राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की लोकसभा को ' निम्न सदन ' (लोअर हाउस) और राज्यसभा को ' उच्च सदन ' (अपर हाउस) कहा जाता है।
- भारत की संसद को देश का सबसे बड़ा ' लोकतंत्र का चौपाल / पंचायत ' या ' लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ' भी कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में लोकसभा की सुरक्षा में सेंधमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं संगठित अपराधों के नियंत्रण उपायों पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है।
- लोकसभा के सांसद का चुनाव जनता द्वारा ' प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ' द्वारा किया जाता है जबकि राज्यसभके सांसद/ सदस्यों का चुनाव ' अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली / तरीके ' से होता है। जिसका अर्थ है कि राज्यसभसांसदों को जनता सीधे नहीं चुनती है।
- राज्यसभा चुनाव में न तो गुप्त मतदान होता है और न ही इसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। इसमें चुनाव का ढांचा थोड़ा अलग होता है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे एक से चार तक का नंबर लिखा होता है। इसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उसपर चिह्न लगाना होता है।
- राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है ये पहले से ही तय होता है। वोटों की संख्या, कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर निकाली जाती है। इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है।
- राज्यसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। इसमें कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। इसके बाद राज्य में जितनी राज्यसभा की सीटें हैं उसमें एक जोड़ कर भाग दिया जाता है। इसके बाद कुल संख्या में एक जोड़ा जाता है। फिर अंत में जो संख्या निकलती है वह जीत के लिए चाहिए होता है।
- नए संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी/अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने विधि - विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, आतंकवाद-रोधी कानून की धाराओं के साथ-साथ आपराधिक साजिश, अतिचार, दंगा भड़काने तथा एक लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ भी लगाई हैं।
- हमले के दौरान आरोपियों के पास उन्हें जारी किए गए **आगंतुक/परिदर्शक पास (विजिटर्स पास)** भी था।

संसद आगंतुक/परिदर्शक पास (विजिटर्स पास) के लिए क्या - क्या नियम/ प्रावधान है?

- सांसद या संसद सदस्य केवल व्यक्तिगत रूप से परिचित व्यक्तियों के लिये ही **विजिटर्स कार्ड के लिए** आवेदन कर सकते हैं।
- **आगंतुक/परिदर्शक पास (विजिटर्स पास)** के लिए सांसद /संसद सदस्य द्वारा प्रमाणीकरण आवश्यक है, जिसमें कहा गया हो कि "उपरोक्त नामित आगंतुक मेरा रिश्तेदार/व्यक्तिगत मित्र हैं / मैं व्यक्तिगत रूप इन्हें से जानता हूँ और मैं उसके लिए पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ।"

- आगंतुकों को **आगंतुक दीर्घाओं** में प्रवेश के लिए कार्ड आमतौर पर एक घंटे के लिए या एक बैठक के लिए, जारी किए जाते हैं। ये कार्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं और कार्डधारक द्वारा इसमें दी गई शर्तों का पालन करने पर ही जारी किए जाते हैं।
- सुरक्षा कारणों से आगंतुकों को प्रमाणन के साथ फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
- **राज्यसभा** में आगंतुकों के प्रवेश के लिए भी ऐसे ही नियम लागू हैं।
- **लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों का नियम 386** सदन की बैठकों के दौरान परिदर्शकों (संसदीय शब्दों में "अजनबी" के रूप में संदर्भित) के "प्रवेश, वापसी तथा हटाया जाना" को परिभाषित करता है।
- **नियम 387 के तहत लोकसभा अध्यक्ष** द्वारा जब कभी ठीक समझा जाए, 'अजनबियों' को सदन के किसी भाग से **बाहर चले जाने का आदेश** दिया जा सकता है।
- अध्यक्ष द्वारा अधिकृत **नियम 387A, प्राधिकृत सचिवालय के पदाधिकारी** को सदस्यों के लिये आरक्षित **सदन परिसर के भीतर** किसी भी 'अजनबी' को हटाने अथवा हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
- इसमें ऐसे अजनबी भी शामिल हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं, अध्यक्ष के विनियमों का उल्लंघन करते हैं (**नियम 386 के तहत**), अथवा सदन की बैठकों के दौरान **नियम 387** के तहत निर्देश दिये जाने पर संबद्ध स्थल से हटने में विफल रहते हैं।
- सांसद / संसद सदस्यों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर तब, जब किसी ऐसे व्यक्ति के प्रवेश की सुविधा हो जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हो।
- विजिटर्स कार्डधारकों के कारण गैलरी में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या अवांछनीय गतिविधि के लिए सांसद / संसद सदस्य ज़िम्मेदार होते हैं।
- 13 दिसंबर 2001 में जब भारतीय संसद पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, वह एक पूर्व नियोजित एवं सशस्त्र आतंकवादियों के एक समूह द्वारा किया गया आत्मघाती हमला था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आतंक फैलाना था।
- इस आतंकवादी हमला के हमलावर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन **लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद** से संबंधित थे।
- हमले के परिणामस्वरूप संसद परिसर की सुरक्षा में तैनात **सुरक्षाकर्मियों और सरकारी अधिकारियों की मृत्यु** हो गई थी।
- इस हमले ने बाह्य खतरों के प्रति **भारत के संसदीय लोकतंत्र की संवेदनशीलता को उजागर** कर दिया था और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव करने को प्रेरित किया था।
- हालिया 13 दिसम्बर 2023 को भारतीय संसद परिसर और सभागार की सुरक्षा में हुए सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी/अभियुक्त व्यक्तियों में से सभी भारतीय नागरिक हैं, किन्तु इस सुरक्षा चूक ने भारतीय संसद की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत करने के लिए भी सुरक्षा एजेंसियों को पुनः सोचने को प्रेरित किया है।

आगे की राह :

भारत की संसद परिसर में हुए सुरक्षा उल्लंघन/ चूक भारत में बढ़ रहे **'आंतरिक सुरक्षा, आतंकवादी गतिविधि और संगठित अपराध'** के क्षेत्र में हो रहे वृद्धि को दर्शाता है, जिस पर तत्काल प्रभाव से संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को लगाम लगाने या रोकने की जरूरत है। वर्तमान समय/ दौर में संपूर्ण विश्व के साथ ही भारत भी तकनीकी और रासायनिक युद्ध (टेक्नोलॉजी एंड केमिकल वार) के साथ – ही – साथ सीमापार अवैध घुसपैठ, स्मगलिंग, मानव तस्करी व्यापार, माओवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे अनेकों बाह्य और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में भारत की संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को भी इन अपराधों की रोकथाम के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों एवं हथियारों से सुसज्जित और अत्याधुनिकीकरण होना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह के सुरक्षा उल्लंघन / चूक का उसे सामना न करना पड़े। संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि भविष्य में भारत के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ ही भारत के आम नागरिकों की भी जान – माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. संसद आगंतुक/परिदर्शक पास (विजिटर्स पास) के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

1. आगंतुक/परिदर्शक पास (विजिटर्स पास) के लिए सांसद /संसद सदस्य द्वारा प्रमाणीकरण आवश्यक है, जिसमें कहा गया हो कि "उपरोक्त नामित आगंतुक मेरा रिश्तेदार/व्यक्तिगत मित्र हैं / मैं व्यक्तिगत रूप इन्हें से जानता हूँ और मैं उसके लिए पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ।"
2. लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों का नियम 386 सदन की बैठकों के दौरान परिदर्शकों (संसदीय शब्दों में "अजनबी" के रूप में संदर्भित) के "प्रवेश, वापसी तथा हटाया जाना" को परिभाषित करता है।
3. नियम 387 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जब कभी ठीक समझा जाए, 'अजनबियों' को सदन के किसी भाग से बाहर चले जाने का आदेश दिया जा सकता है।
4. इसमें ऐसे अजनबी भी शामिल हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं, अध्यक्ष के विनियमों का उल्लंघन करते हैं (नियम 386 के तहत), अथवा सदन की बैठकों के दौरान नियम 387 के तहत निर्देश दिये जाने पर संबद्ध स्थल से हटने में विफल रहते हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सही है ?

- (a). केवल 1, 3 और 4 .
- (b). केवल 1, 2 और 4
- (c) . इनमें से कोई नहीं।
- (d). इनमें से सभी।

उत्तर – (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. भारत में बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या - क्या चुनौतियाँ हैं ? उन चुनौतियों के समाधान के उपायों का तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए ।

कोविड 19 महामारी के बाद बेरोज़गारी - चिंतनीय

(यह लेख ' बिजनस स्टैण्डर्ड ', ' इंडियन एक्सप्रेस ', ' द हिन्दू ', ' संसद टीवी ' भारत सरकार के ' श्रम एवं कल्याण मंत्रालय ' और ' पीआईबी ' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर ' बेरोज़गारी, आर्थिक नियोजन, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास एवं कुशल कामगारों की कमी ' खंड से संबंधित है। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' कोविड 19 महामारी के बाद बेरोज़गारी - चिंतनीय ' से संबंधित है।)

सामान्य अध्ययन : भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, बेरोज़गारी, आर्थिक नियोजन और कुशल कामगारों की कमी।

चर्चा में क्यों ?

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं के एक समूह ने 'कार्यशील भारत की स्थिति 2023: सामाजिक पहचान और श्रम बाजार परिणाम ' नामक एक हालिया रिपोर्ट में भारत में रोजगार परिदृश्य पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट रोजगार सृजन की गतिशीलता, नियमित वेतन वाली नौकरियों की व्यापकता, जाति-आधारित अलगाव, लिंग-आधारित आय असमानताओं और बेरोज़गारी दर पर COVID-19 महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु :

1. नियमित नौकरियों में वृद्धि:

रिपोर्ट से पता चलता है कि 2004 से 2017 तक, भारत में सालाना 30 लाख नियमित नौकरियों का सृजन हुआ। हालाँकि, 2017 और 2019 के बीच, यह आंकड़ा बढ़कर पाँच मिलियन नौकरियों तक पहुँच गया, जो रोजगार के अवसरों में सकारात्मक रुझान का संकेत देता है।

2. सीमित सामाजिक सुरक्षा:

एक चिंताजनक पहलू यह है कि इनमें से केवल 6% नियमित नौकरियाँ स्वास्थ्य बीमा या आकस्मिक देखभाल बीमा सहित किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इससे कार्यबल की स्थिरता और भलाई पर सवाल खड़े होते हैं।

3. 2019 के बाद से कम हुई रफ्तार:

प्रारंभिक वृद्धि के बावजूद, रिपोर्ट 2019 के बाद से नियमित वेतन वाली नौकरियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मंदी को रेखांकित करती है। इस मंदी को आर्थिक मंदी और महामारी के विघटनकारी प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

4. आय असमानताएँ:

पिछले दो दशकों में लिंग आधारित आय असमानताएँ कम हुई हैं। 2004 में, वेतनभोगी पदों पर महिलाएं पुरुषों की कमाई का 70% कमाती थीं। 2017 तक, यह अंतर कम हो गया था, पुरुषों की कमाई का 76% महिलाएं कमा रही थीं। यह प्रवृत्ति 2021-22 तक अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है।

5. लैंगिक असमानताएँ:

पिछले कुछ वर्षों में, नियमित नौकरियों में लिंग प्रतिनिधित्व में सकारात्मक बदलाव आया है। ऐसी भूमिकाओं में पुरुषों का अनुपात 18% से बढ़कर 25% हो गया और महिलाओं के लिए यह 10% से बढ़कर 25% हो गया। यह कार्यबल में लैंगिक समावेशिता में प्रगति का संकेत देता है।

6. जाति-आधारित अलगाव में कमी:

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ' जाति - एक सामाजिक सच ' है। रिपोर्ट रोजगार में जाति-आधारित अलगाव में कमी पर प्रकाश डालती है। 2004 में, आकस्मिक वेतन श्रमिकों के 80% से अधिक बेटे आकस्मिक रोजगार में रहे, लेकिन 2018 तक गैर-एससी/एसटी जातियों के लिए यह आंकड़ा घटकर 53% हो गया। यह जाति-संबंधी रोजगार असमानताओं में गिरावट का सुझाव देता है।

7. कोविड के बाद बेरोज़गारी:

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद भारत में बेरोज़गारी दर सभी शिक्षा स्तरों के लिए महामारी-पूर्व स्तर से कम थी। हालाँकि, स्नातकों, विशेष रूप से 25 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए बेरोज़गारी दर चिंता का विषय बनी हुई है, जो 42% के महत्वपूर्ण स्तर को छू रही है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट महिलाओं के बीच स्व-रोज़गार में संकट-प्रेरित वृद्धि पर प्रकाश डालती है, जिसमें 60% महिलाएं कोविड के बाद स्व-रोज़गार में हैं। इस बदलाव के परिणामस्वरूप स्व-रोज़गार से वास्तविक कमाई में गिरावट आई है।

मुख्य कामकाजी उम्र और अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोज़गारी दर में गिरावट आई है:

2022 में 16 से 24 साल के बच्चों के लिए बेरोज़गारी दर में थोड़ा बदलाव आया। इस आयु वर्ग के भीतर, किशोरों (16 से 19 साल की उम्र) के लिए बेरोज़गारी दर में साल भर में थोड़ा बदलाव आया, जो अपने महामारी-पूर्व स्तर से नीचे रहा। युवा वयस्कों (20 से 24 वर्ष की आयु) के लिए बेरोज़गारी दर में भी साल भर में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन यह अपने महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर रही। किशोरों के लिए बेरोज़गारी दर, 10.9 प्रतिशत, युवा वयस्कों की दर, 7.0 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है।

प्रमुख कामकाजी उम्र (25 से 54 वर्ष) के लोगों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष के दौरान घटकर चौथी तिमाही में 3.1 प्रतिशत हो गई, जो अपने महामारी-पूर्व स्तर पर वापस आ गई। प्रमुख कामकाजी उम्र के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेरोजगारी दर में साल भर में गिरावट आई है, जो 2019 की चौथी तिमाही में देखे गए स्तर पर आ गई है।

55 वर्ष और उससे अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए बेरोजगारी दर 2022 की चौथी तिमाही में 2.5 प्रतिशत थी, जो साल भर में 0.7 प्रतिशत अंक कम है। इस आयु वर्ग में पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर एक-दूसरे से बहुत कम भिन्न थी, पुरुषों के लिए 2.6 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 2.5 प्रतिशत थी। वर्ष की चौथी तिमाही तक, दोनों समूहों की दरें महामारी से पहले, 2019 की चौथी तिमाही में दर्ज की गई दरों से बहुत कम भिन्न थीं।

सभी प्रमुख शैक्षिक उपलब्धि स्तरों पर लोगों के लिए बेरोजगारी दर में वर्ष के दौरान कमी आई है:

25 वर्ष और उससे अधिक उम्र के श्रमिकों में, 2022 में सभी प्रमुख शैक्षिक प्राप्ति स्तरों पर बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। हाई स्कूल डिप्लोमा से कम वाले लोगों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष के दौरान 0.9 प्रतिशत अंक कम होकर चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत हो गई। बिना कॉलेज वाले हाई स्कूल स्नातकों की दर 2022 के अंत तक 1.2 प्रतिशत अंक गिरकर 3.8 प्रतिशत हो गई, जो शैक्षिक प्राप्ति श्रेणियों में सबसे बड़ी गिरावट है। कुछ कॉलेज या एसोसिएट डिग्री वाले लोगों के लिए बेरोजगारी दर, चौथी तिमाही में 3.0 प्रतिशत थी, जो वर्ष के दौरान 0.8 प्रतिशत अंक कम हो गई। 2022 की चौथी तिमाही में स्नातक डिग्री और उससे अधिक डिग्री वाले लोगों के लिए बेरोजगारी दर 1.9 प्रतिशत थी, जो एक साल पहले की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक कम थी। पहले की तरह, 2022 में उच्च स्तर की शिक्षा वाले लोगों के लिए बेरोजगारी दर कम शिक्षा वाले लोगों की तुलना में बहुत कम थी।

लगभग 5 में से 1 बेरोजगार व्यक्ति 27 सप्ताह या उससे अधिक समय से बेरोजगार था:

दीर्घकालिक बेरोजगार लोगों (जो 27 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बेरोजगार थे) की संख्या 2022 के अंत तक घटकर 1.2 मिलियन हो गई। चौथे में बेरोजगार लोगों की कुल संख्या में इस समूह की हिस्सेदारी 19.5 प्रतिशत थी। 2022 की तिमाही, 2021 की चौथी तिमाही के 31.7 प्रतिशत से कम। 2022 के अंत में, दीर्घकालिक बेरोजगार लोगों की संख्या और इसके कुल बेरोजगारी का हिस्सा महामारी से पहले के अपने स्तर से थोड़ा अलग था।

2010 की दूसरी तिमाही में 4.5 मिलियन (मौसमी रूप से समायोजित नहीं) की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, लगभग एक दशक तक 52 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बेरोजगार लोगों की संख्या में गिरावट आई। 2020 की दूसरी तिमाही में महामारी से संबंधित बेरोजगारी में वृद्धि की शुरुआत में, इस समूह में लोगों की संख्या, 556,000 थी, जो 2003 के बाद से सबसे कम थी। बेरोजगारी में शुरुआती वृद्धि लंबी अवधि तक जारी रही 2020 के शेष भाग और 2021 में श्रेणियां। 2021 की चौथी तिमाही से 2022 की चौथी तिमाही तक 52 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बेरोजगार रहने वालों की संख्या में 756,000 की गिरावट आई, जो 729,000 पर आ गई। कुल बेरोजगारी में समूह की हिस्सेदारी 2021 की चौथी तिमाही में 23.3 प्रतिशत से गिरकर 2022 की चौथी तिमाही में 13.3 प्रतिशत हो गई, जो लगभग अपनी महामारी-पूर्व हिस्सेदारी (12.8 प्रतिशत) पर वापस आ गई।

अपनी नौकरी खोने के कारण बेरोजगार हुए लोगों की संख्या में गिरावट जारी रही:

बेरोजगार लोगों को उनके बेरोजगारी के कारणों के आधार पर समूहीकृत या वर्गीकृत किया जाता है। लोग बेरोजगार हैं क्योंकि या तो वे

- (1) अस्थायी छंटनी पर थे, स्थायी रूप से अपनी नौकरी खो चुके थे, या अस्थायी नौकरी पूरी कर चुके थे (नौकरी गंवाने वाले)
- (2) स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ दी (नौकरी छोड़ने वाले);
- (3) श्रम शक्ति में पुनः प्रवेश (पुनः प्रवेशकर्ता) या
- (4) पहली बार श्रम बल में प्रवेश किया (नए प्रवेशकर्ता)।

कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी खोने वालों और अस्थायी नौकरियां पूरी करने वालों की संख्या अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई, जो 2020 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 17.7 मिलियन हो गई। (यह डेटा श्रृंखला के इतिहास में सबसे अधिक तिमाही औसत था, जो 1967 में शुरू हुआ।) इसके बाद इस संख्या में स्पष्ट रूप से गिरावट आई, एक पैटर्न जो 2022 में भी जारी रहा। 2022 की चौथी तिमाही में नौकरी खोने वालों की संख्या औसतन 2.7 मिलियन थी, जो मोटे तौर पर इसके महामारी-पूर्व स्तर के अनुरूप थी।

महामारी की शुरुआत में, 2020 की दूसरी तिमाही में नौकरी खोने वालों की संख्या में अधिकांश वृद्धि में अस्थायी छंटनी वाले लोग शामिल थे। अस्थायी छंटनी पर बेरोजगार लोगों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, जो 2021 के अंत तक अपने महामारी-पूर्व स्तर पर लौट आई, और उसके बाद 2022 के अधिकांश समय में इसी स्तर पर बनी रही।

अस्थायी छंटनी पर नहीं गए बेरोजगार लोगों की संख्या, एक समूह जिसमें ज्यादातर स्थायी नौकरी खोने वाले शामिल थे, 2022 के अंत में 1.9 मिलियन थी, जो बेरोजगार लोगों की कुल संख्या का 31.9 प्रतिशत थी। 2022 की पहली छमाही के दौरान इस उपाय में गिरावट जारी रही और वर्ष के अंत तक यह लगभग अपने महामारी-पूर्व स्तर पर था। 2022 की चौथी तिमाही में श्रम बल में पुनः प्रवेश करने वाले बेरोजगारों की संख्या 1.8 मिलियन थी, जिसमें वर्ष के दौरान 301,000 की गिरावट आई। पुनः प्रवेश करने वाले वे लोग हैं जो पहले श्रम बल में थे, श्रम बल से बाहर समय बिता चुके थे, और एक बार फिर से सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे थे। 2022 के अंत में बेरोजगार लोगों में पुनःप्रवेशकों की संख्या 30.9 प्रतिशत थी।

बेरोजगार नौकरी छोड़ने वालों की संख्या – यानी, स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की संख्या में साल भर में थोड़ा बदलाव आया, 2022 की चौथी तिमाही में औसतन 838,000 चौथी तिमाही में श्रम बल में नए प्रवेशकों की संख्या में भी साल भर में थोड़ा बदलाव आया।

सेवा व्यवसायों में बेरोजगारी में सबसे अधिक गिरावट आई है:

2021 से 2022 तक, सभी पांच प्रमुख व्यावसायिक श्रेणियों के लिए बेरोजगारी दर में कमी आई। (डेटा वार्षिक औसत हैं।) सेवा व्यवसायों के लिए बेरोजगारी दर में सबसे तेज कमी आई, जो 3.0 प्रतिशत अंक घटकर 2022 में 4.8 प्रतिशत हो गई। इस श्रेणी के भीतर, भोजन

तैयार करने और परोसने से संबंधित व्यवसाय, 5.7 प्रतिशत की बेरोजगारी दर के साथ, और 4.1 प्रतिशत की बेरोजगारी दर के साथ व्यक्तिगत देखभाल और सेवा व्यवसायों में 2022 में सबसे बड़ी गिरावट आई। उत्पादन, परिवहन और सामग्री परिवहन व्यवसायों (4.9 प्रतिशत) के लिए बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई। प्राकृतिक संसाधन, निर्माण और रखरखाव व्यवसाय (4.4 प्रतिशत), बिक्री और कार्यालय व्यवसाय (3.7 प्रतिशत), और प्रबंधन, पेशेवर और संबंधित व्यवसाय (2.0 प्रतिशत) रही।

ऐसे लोगों की संख्या जो श्रम बल में नहीं थे, जो नौकरी चाहते थे, उनमें थोड़ा बदलाव आया:

जो लोग न तो नियोजित हैं और न ही बेरोजगार हैं, उन्हें श्रम बल में नहीं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2022 की चौथी तिमाही में, श्रम बल में नहीं रहने वाले लोगों की संख्या 100.0 मिलियन थी, जो एक साल पहले की तुलना में थोड़ा बदल गई है। अधिकांश लोग जो श्रम बल में नहीं हैं, वे नौकरी नहीं चाहते हैं (2022 के अंत में लगभग 95 प्रतिशत)। 2022 के अंत में, श्रम बल से बाहर 5.5 मिलियन लोग थे जिन्होंने संकेत दिया कि वे नौकरी चाहते हैं। हालांकि 2020 की मंदी के बाद से इस उपाय में गिरावट आई थी, फिर भी यह 2019 की चौथी तिमाही में दर्ज 4.8 मिलियन के अपने पूर्व-महामारी स्तर से ऊपर था।

समग्र श्रम बल भागीदारी दर में बदलाव:

वर्ष 2022 की शुरुआत में शुरू किए गए वार्षिक जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए चौथी तिमाही में 62.2 प्रतिशत पर समग्र श्रम बल भागीदारी दर, पूरे वर्ष स्थिर रही। महामारी की शुरुआत के साथ भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई, लेकिन फिर यह तेजी से बढ़ी और 2021 में बढ़ती रही। हालांकि, 2022 की शुरुआत में वृद्धि की प्रवृत्ति कम हो गई।

स्व-रोजगार वाले श्रमिकों की संख्या में बदलाव:

2022 की चौथी तिमाही में, गैर-कृषि स्व-रोजगार श्रमिकों की कुल संख्या, 9.1 मिलियन, साल भर में थोड़ा बदल गई। यह 2021 में गैर-कृषि स्व-रोजगार श्रमिकों की रोजगार वृद्धि के विपरीत है। गैर – कृषि स्व – रोजगार दर (कुल गैर-कृषि रोजगार का अनुपात) स्व-रोजगार श्रमिकों की वृद्धि 2022 के अंत में 5.8 प्रतिशत थी, जो 2021 की चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत से कम थी।

पूर्णकालिक वेतनभोगी और वेतनभोगी कर्मचारियों की औसत साप्ताहिक आय में वृद्धि हुई लेकिन मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं बैठा :

पूर्णकालिक वेतन और वेतनभोगी कर्मचारियों की औसत साप्ताहिक कमाई 2022 में \$1,059 थी, जो 2021 से 6.1 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि के दौरान, मुद्रास्फीति 8.0 प्रतिशत थी, जैसा कि सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-यू) द्वारा मापा गया था। वास्तविक औसत सामान्य साप्ताहिक आय (सीपीआई-यू के उपयोग के साथ समायोजित) में 2021 से 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। महिला औसत साप्ताहिक 2022 में कमाई \$958 थी, यह पुरुषों की औसत साप्ताहिक कमाई (\$1,154) का 83.0 प्रतिशत था। वर्ष 1979 में, जो सामान्य साप्ताहिक कमाई पर तुलनीय डेटा के रूप में उपलब्ध है, महिलाओं की कमाई पुरुषों की कमाई का 62.3 प्रतिशत थी।

समाधान :

2022 में, श्रम बाजार ने COVID-19 महामारी के कारण हुई मंदी से उबरना जारी रखा, और कई श्रम बाजार उपागम अपने अनेक उपायों से अपने महामारी-पूर्व स्तर पर लौट आया। वर्ष 2022 के दौरान, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई, जो 2021 से 0.6 प्रतिशत अंक कम थी। कुल रोजगार का विस्तार जारी रहा, रोजगार- जनसंख्या अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया, लेकिन श्रम बल भागीदारी दर में थोड़ा बदलाव आया। सभी प्रमुख लैंगिक और जातीय समूहों में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। वर्ष के दौरान आर्थिक कारणों से अंशकालिक काम करने वाले लोगों की संख्या में भी गिरावट आई है। औसत सामान्य साप्ताहिक आय 2022 में बढ़कर \$1,059 हो गई; यह 2021 में कमाई से 6.1 प्रतिशत अधिक था, लेकिन यह वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं थी। अतः इसमें सुधार करते हुए कुल श्रम बल भागीदारी दर को बढ़ाये जाने की जरूरत है, जिससे संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन हो सके और भारत की आर्थिक संवृद्धि हो सके। इसके साथ ही भारत के विशाल मानव बल को कुशल कामगार बल की रूप में उपयोग किया जा सके जिससे बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. भारत में व्याप्त प्रचलित बेरोजगारी के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं के एक समूह ने 'कार्यशील भारत की स्थिति 2023: सामाजिक पहचान और श्रम बाजार परिणाम' नामक एक हालिया रिपोर्ट में भारत में रोजगार परिदृश्य पर प्रकाश डाला है।
2. यह रिपोर्ट रोजगार सृजन की गतिशीलता, नियमित वेतन वाली नौकरियों की व्यापकता, जाति-आधारित अलगाव, लिंग-आधारित आय असमानताओं और बेरोजगारी दर पर COVID-19 महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।
3. पिछले कुछ वर्षों में, नियमित नौकरियों में लिंग प्रतिनिधित्व में सकारात्मक बदलाव आया है। ऐसी भूमिकाओं में पुरुषों का अनुपात 18% से बढ़कर 25% हो गया और महिलाओं के लिए यह 10% से बढ़कर 25% हो गया। यह कार्यबल में लैंगिक समावेशिता में प्रगति का संकेत देता है।
4. वर्ष 2022 की शुरुआत में शुरू किए गए वार्षिक जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए चौथी तिमाही में 62.2 प्रतिशत पर समग्र श्रम बल भागीदारी दर, पूरे वर्ष स्थिर रही।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा सत्य है ?

1. . केवल 1, 2 और 4 .
2. . केवल 2, 3 और 4 .
3. . इनमें से कोई नहीं।
4. . इनमें से सभी।

उत्तर – (d) .

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. ' कौशल विकास योजना ' और भारत में कुशल कामगारों की कमी किस प्रकार सह – संबंधी है ? भारत में असंगठित क्षेत्रों के कामगारों की राह में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हुए उसके समाधान का तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए ।

Akhilesh kumar shrivastav

